न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 35/2024

अपीलार्थी–	***बनाम***	उत्तरदाता–
विजयसिंह पुत्र तेजाराम जाति जाट निवासी लूखु तहसील धोरीमन्ना जिला बाडमेर		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 27.06.2024 जो प्रकरण सं. 4/2024 मे तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री राजेश विश्नोई, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. राजकीय अधिवक्ता, उत्तरदाता की ओर से अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 18.12.2024

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा प्रकरण सं. 4/2024 सरकार बनाम विजयसिंह मे पारित निर्णय दिनांक 27.06.2024 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि हलका पटवारी लूखु द्वारा तहसीलदार धोरीमन्ना के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा लूखु के खसरा नम्बर **258/1** रकबा **0.3237 हैक्टर** किस्म गैर मुमकीन रास्ता सरकारी भूमि में से **0.0016 हैक्टेयर** पर गैर सायल **विजयसिंह पुत्र तेजाराम जाति जाट निवासी लूखु तहसील धोरीमन्ना जिला बाडमेर** द्वारा बाड़ बनाकर कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया है जो अवैध है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे। हलका पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम दर्ज कर गैर सायलान को जरिये नोटिस जवाब हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 13:29:59 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

तलब किया गया। गैर सायलान को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा गैर सायलान को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक **27.06.2024** के द्वारा **50/–** रूपये जुर्माना अधिरोपित कर भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4. अपीलांट के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने मे विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर धारा 91 के तहत जवाब हेतु नोटिस जारी किया तथा पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक 07.06.2024 को नियत की गई। अपीलांट की ओर से नियत दिनांक पर अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा जवाब हेतु अवसर चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का सम्यक अवसर दिये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। अपीलांट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मुतनाजा भूमि का सीमांकन पक्षकारों के रूबरू करने हेतु निवेदन किया किन्तु उक्त निवेदन पर कोई गौर नहीं किया गया। यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके पर विवादित भूमि का सीमांकन पक्षकारान के समक्ष किया जाता तो अपीलार्थी का कब्जा अपनी खातेदारी भूमि में ही पाया जाता। हलका पटवारी द्वारा एकपक्षीय मौका रिपोर्ट तैयार कर पेश की गई है एवं अपीलांट पर मनगढत एवं बेबुनियाद रूप से अतिक्रमण का आक्षेप लगाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के स्वामित्व हित एवं अधिकारों का विचार किये बिना एवं पत्रावली का परीक्षण के बिना ही आनन–फानन में अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अपीलांट के स्वामित्व के भूखण्ड के समीपस्थ दोनों

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 13:29:59 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

तरफ सरकारी कटान रास्ता आया हुआ है तथा अपीलांट द्वारा भूमि कृय करने के पश्चात् आवासीय प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन करवाया गया। अपीलांट के भूखण्ड के आगे पक्की डामर मुख्य सड़क 50 फीट चौडी निकलती है तथा पीछे सरकारी कटान मार्ग है। अपीलांट के भूखण्ड पर अपने रेवासीय पक्के मकान बने हुए हैं। इस प्रकार स्वयं तहसीलदार द्वारा संपरिवर्तित भूमि पर बने मकान को सरकारी भूमि पर अपीलांट का अवैध अतिक्रमण समझ से परे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजनीतिक दबाव में अपीलाधीन कार्यवाही बदनीयतीपूर्ण की गई है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन समस्त तथ्यों एवं साक्ष्यों को अनदेखा करते हुए अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 4 / 2024 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.06.2024 को अपास्त फरमाया जावे।

5. हमनें अपीलांट के योग्य अधिवक्ता को सुना एवं प्रकट तथ्यों एवं तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने इस अपील के द्वारा अपने स्वामित्व भूमि पर कब्जा व आधिपत्य होना प्रकट किया है तथा रास्ता की भूमि उससे भिन्न होना प्रकट किया है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नायब तहसीलदार के अगुवाई में गठित टीम द्वारा की गई पैमाईश में उक्त कब्जा सरकारी रास्ता की भूमि पर होना पाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा भूमि की पैमाईश पक्षकारान के समक्ष किये जाने का निवेदन किया है किंतु इसके लिए कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, बावजूद इसके उक्त टीम द्वारा पैमाईश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध मौका रिपोर्ट के अवलोकन से पाया जाता [illegible]क्षकारान को मौका जांच के समय उपस्थित रहने हेतु कोई [illegible] है और न ही उनकी मौजूदगी में उनके पक्के अलामात मकान इत्यादि का सीमांकन किया गया है जिससे यह मौका जांच एवं पैमाईश एकपक्षीय होने से पक्षकारान का

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 13:29:59 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

असहमत होना लाजमी है। यदि मौके पर पक्षकारान को सूचित किया जाकर उनके समक्ष पैमाईश कर संतुष्ट कर दिया जाता तो उक्त कार्यवाही विधिपूर्ण एवं न्यायपूर्ण होती। जहां तक विवादित भूमि पर अपीलार्थी का अवैध कब्जा होने का प्रश्न है तो उनके द्वारा पंजीबद्ध भूखण्ड खसरा नंबर 259/469 क्रय किया जाकर नियमानुसार आवासीय संपरिवर्तन करवाकर निर्माण करवाए गए हैं, ऐसे में प्रथम दृष्टया साआशय अवैध अतिक्रमण किया जाना प्रतीत नहीं होता है। यदि भूखण्ड के कब्जे के सीमांकन का विवाद है तो इसे पक्षकारान के रूबरू पैमाईश द्वारा निस्तारित किया जा सकता है। इस प्रकार अपीलांट के विरुद्ध मुतनाजा सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण का तथ्य उपलब्ध साक्ष्यों से ठोस रूप से प्रमाणित नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के स्वामित्व दस्तावेजों के अनुसार उसके भूखण्ड का सीमांकन किये बिना एकपक्षीय पारित अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा प्रकरण संख्या 4/2024 में पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.06.2024 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सरकारी रास्ता की भूमि के साथ–साथ अपीलांट के स्वामित्व के भूखण्ड का अपीलांट की उपस्थिति में पैमाईश एवं सीमांकन करते हुए प्रकरण का नये सिरे से निस्तारण करें।

7. निर्णय आज दिनांक **18.12.2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 13:29:59 IST
Reason: SelfAttested

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर